भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 12AA 336091

प्रारूप 26

(नियम 4 क देखिए)

......लालकुआँ - 56...... निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

......विधान सभा...... (सदन का नाम) के

लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं ......प्रकाश जोशी...... पुत्र/पुत्री/पत्नी ......श्री चन्द्रशेखर जोशी......

...... आयु ...33...... वर्ष, जो ......पूर्वी खोड़ानाला बिंदुखत्ता......

लालकुआं नैनीताल...... का /की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ

/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त नही हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ......लागू नहीं......

(ii) पुलिस थाना (थाने) ......X...... जिला (जिले) ......X......
राज्य ......X......

(iii) संबधित अधिनियम (अधिनियमों की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ......X......

......

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई ......X......

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था /थे............X

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है /है.......X.......

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है /~~नही~~ ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/~~नही~~ किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडानिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.......लागू नहीं.......

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है ....X..........

(iii) पुलिस थाना (थाने) ....X..........जिला (जिले)..........X..........राज्य.....X.....

(iv) संबधित अधिनियम (अधिनियमों की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ....X.......

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे..........X..........

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है /रोके गए है..........X..........

स्थान : लालकुआं

तारीख : 12·1·2012

P Joshi

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नही है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

.......लालकुआं.......स्थान पर आज तारीख.......12·1·2012.......को सत्यापित किया ।

P Joshi

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Certified that Sri/Smt. Prakash Joshi
the Deponent Identified by Self
Sworned & Verified the Content of
this Affidavit at Lalkuan
on Date 12/01/2012 at 11 am

(Rajeev Mohan Birkhani)
Notary LALKUAN
Distt. Nainital (U.K.)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्याः 3/ई0आर0/2011/एस.डी.आर दिनांक : 25 फरवरी, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः– आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसंपत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए परिशोधित फार्मेट – अभ्यर्थियों द्वारा उनके नामनिर्देशन पत्र सहित दाखिल किए गए शपथपत्र ।

महोदय/महोदया,

सिविल अपील संख्या 2002 की 490 में दिनांक 13 मार्च, 2003 के निर्णय तथा आदेश के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2003 के आदेश सं0 3/ई.आर/2003/जे.एस–II के द्वारा एक फार्मेट निर्धारित किया है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में सूचना देते हुए शपथपत्र दाखिल करना होता है ।

2. तब से अनुभव के आधार पर, आयोग ने अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को और बेहतर तथा प्रभावी सूचना देने के लिए फार्मेट में कुछ संशोधन किए है । शपथपत्र का नया फार्मेट इसके साथ संलग्न है । यह फार्मेट अब से सभी निर्वाचनों के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

3. नया फार्मेट राज्य में सभी निर्वाचन अधिकारियों में परिचालित किया जाए तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, सभी राजनीतिक पार्टियों (मान्यता प्राप्त पार्टियों की राज्य ईकाईयों सहित) के संज्ञान में लाया जाए ।

भवदीय,

ह/0

(के0एफ0विलफ्रेड)

प्रमुख सचिव